राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा सेन्ट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड, रांची के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संगठनों के प्रतिनिधियों एवं सी.सी.एल. प्रबंधन के साथ दिनांक 03-02-2016 को हुई बैठक का कार्यवाही प्रतिवेदन

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा डॉ. पी.एल. पुनिया की अध्यक्षता में सेन्ट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड, रांची के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 03-02-2016 को रांची में बैठक आयोजित की गई । इस बैठक में सी.सी.एल., रांची से जुड़े अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के दो संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसकी सूची परिशिष्ट-II पर संलग्न है:-

आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संघों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया । बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अनुसूचित जाति के कर्मचारियों/पदाधिकारियों की समस्याओं एवं उनके हित से जुड़े मुद्दों को आयोग के समक्ष रखा गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है ।

महासचिव, सिस्टा, सी.सी.एल. रांची द्वारा आयोग का ध्यान निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर आकृष्ट किया गया:-

1. सी.सी.एल., रांची में अनुसूचित जाति कर्मचारियों/पदाधिकारियों हेतु अलग से शिकायत पंजी का संधारण नहीं किया गया है । सी.सी.एल. प्रबंधन द्वारा समाधान केन्द्र का गठन किया गया है जो सिर्फ सी.सी.एल. मुख्यालय में है । सी.सी.एल. के क्षेत्रीय कार्यालयों में समाधान केन्द्र स्थापित नहीं किये गये हैं ।
2. सी.सी.एल. द्वारा गठित कल्याण समिति एवं आवास आबंटन समिति में अनुसूचित जाति के सदस्यों(क्षेत्रीय कार्यालयों सहित) में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ।
3. सी.सी.एल. परियोजना हेतु विस्थापित परिवारों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है । विस्थापित परिवार के सदस्यों को पुनर्वास नीति के तहत् नौकरी उपलब्ध नहीं करायी गयी है ।
4. आवास आबंटन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के साथ भेदभाव किया जाता है ।
5. क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु सम्पर्क पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है ।
6. प्रोन्नति रोस्टर पंजी का संधारण नहीं किया गया है । क्षेत्रीय कार्यालयों में भी रोस्टर पंजी का सही ढंग से नियमानुसार संधारण नहीं किया जाता है ।
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों/पदाधिकारियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है । नियुक्ति/प्रोन्नति पूर्व प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ।
8. सी.सी.एल. में महिला कर्मियों को ऐच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत् उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं की जा रही है ।

9. सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति में एन.सी.सी. का "सी" प्रमाण-पत्र मांगा जाता है जो इण्टर का एन.सी.सी. प्रमाण-पत्र है ।

उपर्युक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त महासचिव, सिस्टा, सी.सी.एल., रांची द्वारा 10 बिन्दुओं पर मांग पत्र (प्रतिलिपि परिशिष्ट-2 पर संलग्न) माननीय आयोग को समर्पित किया गया तथा वर्णित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया गया ।

इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया एस.सी./एस.टी./बी.सी. एम्प्लाईज को-आर्डिनेशन कौन्सिल के अध्यक्ष एवं महासचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से उनके द्वारा माननीय आयोग के समक्ष 16 बिन्दुओं पर एक ज्ञापन (परिशिष्ट-3 पर संलग्न) समर्पित किया गया एवं आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया गया ।

आयोग द्वारा सी.सी.एल. प्रबंधन के साथ समीक्षा बैठक की गई । बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची ANNEXURE-I पर है ।

1. बैठक में सर्वप्रथम अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा कर्मचारी कल्याण संघों द्वारा समर्पित मांग पत्र/ज्ञापन के आलोक में अनुसूचित जाति कर्मियों की समस्याओं से बिन्दुवार सी.सी.एल. प्रबंधन को अवगत कराया गया ।
2. अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा ग्रुप "ए" एवं "बी" के पदों पर अनुसूचित जाति के 10 प्रतिशत से कम प्रतिनिधित्व रहने पर असंतोष व्यक्त किया गया एवं अनुसूचित जाति हेतु निर्धारित आरक्षण कोटा के मुताबिक प्रतिनिधित्व देने पर बल दिया गया । सी.सी.एल. प्रबंधन से ओ.बी.सी. से संबंधित सूचना की मांग की गई जो उपलब्ध नहीं करायी जा सकी । आयोग द्वारा बैकलॉग पदों को नहीं भरे जाने पर भी असंतोष व्यक्त किया गया । आयोग द्वारा Outsourcing द्वारा भरे जाने वाले पदों पर भी आरक्षण के हिसाब से अनुसूचित जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व देने पर बल दिया गया ।
3. आयोग द्वारा सी.सी.एल. प्रबंधन को निदेशित किया गया कि उपर्युक्त बैठकों में उभरे बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु एक Action Plan तैयार कर 15 दिनों के भीतर आयोग को उपलब्ध कराया जाए । सी.सी.एल. प्रबंधन द्वारा अनुबंधित समय के भीतर Action Plan आयोग को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया ।

अंत में माननीय अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई ।

****

ANNEXURE-I

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES

List of Participants from NCSC

1. Dr. P.L. Punia, Chairman
2. Dr. Raj Kumar Verka, Vice Chairman
3. Shri Raju Parmar, Member
4. Shri S.K. Dubey, Under Secretary
5. Shri Jagjit Singh, APS to Chairman
6. Shri S.K. Singh, Sr. Investigator
7. Shri Anil Kumar Singh, P.A. to Vice Chairman

Officers of Central Coalfield Ltd. (CCL)

1. Shri Gopal Singh CMD, CCL
2. Shri S. Mahapatra , Director (HR), CCL

ANNEXURE - II

मानीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली का सेन्ट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड, रांची के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संगठनों/कर्मियों के साथ दिनांक 03-02-2016 को आहुत बैठक में उपस्थिति

क्र.सं.	नाम
1.	आर.एन. राम
2.	जेनेन्द्र भारती
3.	डॉ. अरुण कुमार
4.	लक्ष्मी नारायण राम
5.	दिनेश कुमार
6.	अशोक रविदास
7.	एस.के. प्रसाद
8.	ध्वजा राम धोबी
9.	विजय कुमार पासवान
10.	कामेश्वर राम
11.	बीरेन्द्र कुमार भगत
12.	दिनेश्वर रविदास
13.	करमचन्द बानी
14.	कृष्णा
15.	दीपक मुन्डे
16.	के. नायक
17.	जगन रबिदास
18.	बिकास टोप्पो
19.	बलदेव रविदास
20.	बिट्टू कुमार
21.	धीरज कुमार
22.	बाबू चन्द मांझी
23.	लालो मांझी
24.	नगेन्द्र राम
25.	कन्हाई पासी
26.	अमृत भोग्ता
27.	सागर
28.	मंगल
29.	दिनेश
30.	राजकुमार दास
31.	जी.सी. मीणा

ANNEXURE-II

मानननीय अध्यक्ष, मानननीय उपाध्यक्ष एवं मानननीय सदस्यगण, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली का सेन्ट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड, रांची के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संगठनों/कर्मियों के साथ दिनांक 03-02-2016 को आहुत बैठक में उपस्थिति

क्र.सं.	नाम
1.	बैजनाथ राम
2.	ब्रजकिशोर पासवान
3.	आर.पी. सिंह
4.	पी.एस.
5.	विजय प्रसाद
6.	रामशब्द राम
7.	वालतेन टोप्पो
8.	एच.के. कुल्लू
9.	बुदधन
10.	राजकुमार
11.	रिशू किस्कू
12.	एस.पी. राम
13.	राजकुमार
14.	राजेश
15.	तेजू रविदास
16.	बिगन राम
17.	संजय कुमार
18.	केशू राम
19.	सरजू सिंह
20.	नरेश
21.	रबिन्द्र मिश्री
22.	रामेश्वर भगत
23.	पंचम पासवान
24.	राम प्रवेश
25.	विजय कुमार
26.	ओमप्रकाश राम
27.	शाहनवाज
28.	बिन्देश्वर राम